Development of Hyderabad as 'Mega City'

5160. DR. ALLADI P. RAJKUMAR : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Hyderabad city is included in the "Mega City" scheme ;

(b) if so, what is the amount of Central share in the project ;

(c) what is the period during which it will be completed ;

(d) the rate of compensation to be paid for private land to be acquired for the purpose ; and

(e) if so, whether any World Bank Loan is involved and if so, how much ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON) : (a) to (c) Yes, Sir. The Government of Andhra Pradesh has submitted a Project for Hyderabad under the Mega City Scheme at an estimated cost of Rs. 913 crores. Under this Scheme, the financial pattern is 25 : 25 : 50 between Central/ State Government and financial institutions. During 1993-94, a Central assistance of Rs. 15.10 crores was released.

The Project will be taken up for implementation during 1994-95 and is likely to continue in the remaining period of 8th Plan and 9th Plan.

(d) The project at present does not envisage any land acquisition, hence this question does not arise.

(e) No, Sir.

गतिवर्द्धित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

5161. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गतिवर्द्धित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रमों के अनुसार शहरों में जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दिए जाने का मापदण्ड क्या है;

(ख) 1993-94 में इस योजना के अधीन किन-किन राज्यों को राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि दी गयी है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय सहायता के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उन प्रस्तावों पर स्वीकृति दे दी गयी है;

(ङ) यदि उन पर स्वीकृति नहीं दी गयी है तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) यह स्वीकृति कब तक दे दी जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) सरकार त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए. यू. डब्ल्यू. एस. पी.) के तहत प्रत्येक राज्य के लिए सरकार द्वारा यथा निर्धारित अंशदान के मानदण्ड इस प्रकार हैं :—

(1) 50% महत्व ऐसे कस्बों की आबादी को दिया जाता है;

(2) 35% महत्व राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में गरीबी की स्थिति को दिया जाता है;

(3) 5% महत्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे कस्बों की संख्या को दिया जाता है;

(4) 10% महत्व ऐसे कस्बों की आबादी के संदर्भ में डी. पी. ए. पी., डी. डी. पी., एच. ए. डी. पी., और विशेष श्रेणी के पहाड़ी क्षेत्र वाले राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को दिया जाता है ।

ए. यू. डब्ल्यू. एस. पी. के तहत कस्बों का चयन कुछ दिशानिर्देशों पर आधारित था, जिनकी प्रति विवरण 1 के रूप में संलग्न है । (नीचे देखिए)